बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

संख्या :– 17–तक0 को0–106 / 2011......11087..............

प्रेषक,

विवेक कुमार सिंह, भा0प्र0से0
अपर मुख्य सचिव,
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग,
बिहार, पटना।

सेवा में,

समाहर्त्ता–सह–बन्दोबस्त पदाधिकारी,
बेगूसराय, खगड़िया, लखीसराय, जहानाबाद, अरवल, शिवहर, किशनगंज, अररिया, कटिहार, पूर्णियाँ, सीतामढ़ी, सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, प0 चम्पारण, बांका, जमुई, शेखपुरा, मुंगेर एवं नालंदा

पटना, दिनांक :– 27-10-2020

विषय :– बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त कार्य के दौरान वक्फ के परिसंपत्तियों के संरक्षण के संबंध में।

प्रसंग :– अपर मुख्य सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक– 2879 दिनांक– 05.12.2019 एवं मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार राज्य सुन्नी बोर्ड का पत्रांक– 902 दिनांक– 19.03.2020

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वक्फ अधिनियम 1995 (संशोधित अधिनियम 2013 के तहत राज्य के शिया एव सुन्नी वक्फ की सम्पतियों का सर्वे किया जाना है। शिया एवं सुन्नी वक्फ की सम्पतियों के संबंध में अपर मुख्य सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के प्रासंगिक पत्र द्वारा अनुरोध किया गया है कि :–

1. वर्तमान में बिहार सरकार के द्वारा नये सिरे से जो सर्वे कार्य कराया जा रहा है, उसी के तहत् वक्फ संपत्तियों का ब्योरा, खाता, खेसरा एवं रकबा के साथ बिहार राज्य शिया वक्फ बोर्ड एवं बिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड द्वारा जिला समाहर्त्ता / बंदोबस्त पदाधिकारी एवं भूमि सुधार उप समाहर्त्ता को उपलब्ध कराया जायेगा ताकि वर्तमान सर्वे से संबंधित भूमि को वक्फ भूमि के नाम से खतियान में दर्ज करा लिया जाय।
2. जिला समाहर्त्ता / जिला बंदोबस्त पदाधिकारी को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा निदेशित किया जाय की वक्फ बोर्ड द्वारा उपलब्ध करायी गयी निबंधित वक्फ भूमि की सूची एवं इससे इतर वक्फ की सम्पत्ति अगर जानकारी में आती है तो इसे वक्फ के सम्पत्ति के रूप में खतियान में दर्ज किया जाय।
3. नये सर्वे के दौरान समाहर्त्ता एवं राजस्व पदाधिकारियों को संबंधित जिला औकाफ कमिटी द्वारा सहयोग प्रदान किया जाएगा।

उल्लेखनीय है कि वक्फ संशोधित अधिनियम, 2013 के अधीन सभी जिला पदाधिकारी, अतिरिक्त सर्वे आयुक्त एवं सभी भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सहायक सर्वे आयुक्त नियुक्त है। उल्लेखनीय है कि मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड के ज्ञापांक– 902 दिनांक– 19.03.2020 द्वारा विशेष सर्वेक्षण के लिए चयनित 20 जिलों के जिला पदाधिकारी से जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी को वक्फ की भूमि के अनुरक्षण एवं सर्वेक्षण हेतु नोडल पदाधिकारी नियुक्त करने का अनुरोध किया गया है।

अतः अनुरोध है कि उक्त के आलोक में बिहार विशेष सर्वेक्षण के दौरान वक्फ भूमि के सर्वेक्षण एवं संरक्षण हेतु प्रावधान के अनुरूप आवश्यक कार्रवाई की जाय।

विश्वासभाजन

(विवेक कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव,
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

G:\20.10.2020\File No.106 2011 13.10.2020.doc

ज्ञापांक :– 17–तक0 को0–106 / 2011........11087........ पटना, दिनांक :–27-10-2020

प्रतिलिपिः– अपर मुख्य सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना को उनके प्रासंगिक पत्र के आलोक में सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/ 27/10/20
अपर मुख्य सचिव,
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

ज्ञापांक :– 17–तक0 को0–106 / 2011........11087........ पटना, दिनांक :–27-10-2020

प्रतिलिपिः– सभी प्रमंडलीय आयुक्त (सारण प्रमंडल को छोड़कर) को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/
अपर मुख्य सचिव,
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

ज्ञापांक :– 17–तक0 को0–106 / 2011........11087........ पटना, दिनांक :–27-10-2020

प्रतिलिपि :– राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के जिलों के लिए प्राधिकृत सभी वरीय नोडल पदाधिकारी / निदेशालय के स्तर से जिलों के लिए प्राधिकृत सभी नोडल पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/
अपर मुख्य सचिव,
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

ज्ञापांक :– 17–तक0 को0–106 / 2011........11087........ पटना, दिनांक :–27-10-2020

प्रतिलिपि :–सुश्री सुरभि सिंह, एम0आई0एस0 डाटा एनालिस्ट, आई0टी0 सेल को निदेशालय के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/
अपर मुख्य सचिव,
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग